संख्या-354/2018/352/69-1-2018-77(अ0सं0-37)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक :31 मई, 2018

विषयः शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में प्राविधानित धनराशि से जनपद-मुजफ्फरनगर की 20 परियोजनाओं हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4171/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 20 फरवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर की नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 20 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु शासनादेश संख्या-233/2018/352/69-1-18-77(अ0सं0-37)/2016, दिनांक 31 मार्च, 2018 द्वारा द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में रू0 199.595 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी किन्तु वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं हो सका था। अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2018 को निरस्त करते हुए जनपद-मुजफ्फरनगर की नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर की उक्त 20 परियोजनाओं हेतु **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत** चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि **रू0 199.595** लाख **(रूपये एक करोड़ निन्यानवे लाख उनसठ हजार पांच सौ मात्र)** की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः...........2

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों,मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

क्रमशः......3

14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
16. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2019 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-04-मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-354/2018/352(1)/69-1-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मुजफ्फरनगर ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 354 /2018/352/69-1-2018-77(अ0सं0-37)/2016 दिनांक 31 मई, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	मुजफ्फर नगर	न0पा0प0, मुजफ्फरनगर	मौ0 अजमतबाग कालोनी में मेरठ रोड पर चिकन किंग होटल से मो0 अहसान कुरैशी के मकान तक, हाजी इसाक के मकान से हाजी दिलनवाज के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.52	7.26
2	तदैव	तदैव	मौ0 अजमतबाग कालोनी में न्यू ऑटो सर्विस सेन्टर से इन्तेजार जैदी के मकान तक, अकबर के मकान से सलीम के मकान तक, सलीम के मकान से प्रधीनू भाई के मकान की दीवार तक, सईद के मकान से मौ0 इकराम कुरैशी के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.06	8.03
3	तदैव	तदैव	मौ0 रहमतनगर में अफजाल के मकान से जावेद के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.48	1.24
4	तदैव	तदैव	मौ योगेन्द्रपुरी में गली-12 ए में हाजी कासिम के मकान से रामशुल हसन के मकान से होते हुए, मस्जिद से महबूब भाई के मकान तक, अलिशान के मकान से महराज के मकान तक, इसरार के मकान से नौशाद कुरैशी के मकान तक, नौशाद कुरैशी के मकान से कामयाब बेकरी तक, कमरजहाँ के मकान से दिलशाद अहमद खां के मकान तक, हाजी वसी के मकान से रहीस के मकान तक, मेहरबान वाली गली, शिव मन्दिर से ठा0 मूलचन्द के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	73.86	36.93
5	तदैव	तदैव	मौ0 योगेन्द्रपुरी में बिट्टू पान वाले के पास तोफीक के मकान से फुरकान के मकान तक, अफजल के मकान से रियाज के मकान तक, रामपुर रोड से गफ्फार के मकान से मुरसलीन के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.06	10.53
6	तदैव	तदैव	मौ0 मिमलाना रोड पर अमरदीन के मकान से खलिद के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.76	4.88
7	तदैव	तदैव	मौ0 मिमलाना रोड पर नसीर के मकान से मौ0 उमर के मकान तक, मौ0 उमर के मकान से मुन्ना परचुनिया की दुकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.95	4.975
8	तदैव	तदैव	मौ0 मिमलाना रोड पर नसीम के मकान से शराफत के मकान तक, शराफत के मकान से काला के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली	10.54	5.27

			निर्माण कार्य।		
9	तदैव	तदैव	मौ० मिमलाना रोड पर हामिद खां के मकान से शमशाद के मकान तक, राशिद के मकान से अहसान के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.18	3.09
10	तदैव	तदैव	मौ० मिमलाना रोड पर आरिफ के मकान से मौ० शहजाद के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.87	1.435
11	तदैव	तदैव	मौ० मिमलाना रोड पर डॉ० तनवीर के मकान से शिशु जागृति पब्लिक स्कूल तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.16	8.08
12	तदैव	तदैव	मौ० अन्सारी कॉलोनी में हाजी अता इलाही की दुकान से जमशेद अन्सारी के मकान तक, इरफान के मकान से सरफराज त्यागी के मकान तक, इरशाद के गोदाम से खाली प्लाट तक, जमशेद अन्सारी के मकान से सलीम अन्सारी के मकान तक, अब्दुल रहमान त्यागी के मकान से हाशिम अन्सारी के मकान तक, कामिल दुल्ले वाले के मकान से सादा अन्सार के मकान तक, इन्तेजार अन्सारी के मकान से राशिद अन्सारी के मकान तक, तनवीर त्यागी के मकान से खाली प्लाट तक, जहीर ठेकेदार के मकान से शमशाद रंगरेज के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	62.78	31.39
13	तदैव	तदैव	मौ० मरियम कालोनी में यासीन मलिक के मकान से कल्लू त्यागी के प्लाट तक, यासीन मलिक के मकान से राशिद के मकान तक, कल्लू त्यागी के मकान से लडया रोड तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.68	3.84
14	तदैव	तदैव	मौ० मरियम कालोनी में आफताब के प्लाट से ऐजाज के प्लाट तक, मुन्तियाज के मकान से खुर्शीद अन्सारी के मकान तक, सगीर मलिक के मकान से शमीम काजी के मकान तक, सरताज त्यागी के प्लाट से भसानी वालो के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	21.47	10.735
15	तदैव	तदैव	मौ० मरियम कालोनी में हाजी शाहबुद्दीन के गोदाम से मुन्तियाज के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.91	8.455
16	तदैव	तदैव	मौ० आलमनगर में डॉ० रियासत के मकान से आकिल दुधिया की दुकान तक, जाहिद त्यागी के घर से शमीम अन्सारी के मकान तक, शमीम अन्सारी के मकान से शगीर अन्सारी के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.48	4.24
17	तदैव	तदैव	मौ० आलमनगर में मैन रोड से वसीम धोबी के मकान तक, रिजवान के मकान से जाकिर मिस्त्री के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.18	3.09

18	तदैव	तदैव	मैन रोड पर लाला धोबी के मकान से शब्बीर पुम्बा के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.05	3.025
19	तदैव	तदैव	मौ0 आलमनगर में यासीन के मकान से इस्लाम के मकान तक, सतीश के प्लाट से अलाउद्दीन के मकान तक, जाहिद के प्लाट से दीवान के प्लाट तक, आलमनगर के गेट-1 से नफीस के मकान तक, नईम के मकान से नंगला वालो के मकान तक, सलीम के प्लाट से मस्जिद के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	49.61	24.805
20	तदैव	तदैव	मौ0 आलमनगर में उमरदीन रंगरेज के मकान से इरफान आरा मशीन वाले प्लाट तक, इस्लाम त्यागी के मकान से मांगे दर्जी के मकान तक, समेदीन अन्सारी के प्लाट से यामीन दीवान जी के मकान तक, रईस के प्लाट यामीन लुहारी के मकान तक, शहजाद अंसारी के मकान से अनीस अन्सारी के प्लाट तक, मौसम के प्लाट से नसीम रंगरेज के प्लाट तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	36.59	18.295
योग				399.19	199.595

(रूपये एक करोड़ निन्यानबे लाख उनसठ हजार पाँच सौ मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in